भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्ना संख्या *277

जिसका उत्त्र 17 दिसम्ब र 2015 को दिया जाना है ।

.....

भूजल स्तर

***277. श्री दुष्यंत चौटाला:**

श्री लल्लू सिंह :

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) केन्द्रीय भूजल बोर्ड तथा अन्य एजेंसियों के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भूजल से संबंधित अत्यधिक दोहित, संकटग्रस्त और अर्द्ध-संकटग्रस्त माने गए क्षेत्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कौन से हैं;

(ख) क्या विश्व बैंक सहित विभिन्न एजेंसियों ने देश में भूजल के अत्यधिक दोहन पर चेतावनी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में भूजल स्तर का विकास और प्रबंधन करने के लिए कोई कार्य योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तैर

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (सुश्री उमा भारती)

(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"भूजल स्तर" के संबंध में श्री दुष्यंत चौटाला और श्री लल्लू सिंह, माननीय संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा पूछे गए और लोक सभा में दिनांक 17.12.2015 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *277 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए गतिशील भूजल संसाधन के नवीनतम आकलन (वर्ष 2011) के अनुसार देश में 6607 आकलन इकाइयों (ब्लॉक/मंडल/तालुका/फिरका/जिला) में से 16 राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों की 1071 इकाइयों को 'अतिदोहित' की श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त भूजल के स्तर में गिरावट तथा भूजल विकास के स्तर के आधार पर 217 आकलन इकाइयां 'गंभीर' और 697 इकाइयां 'अर्ध गंभीर' की श्रेणी में हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपदा कोष (यूनीसेफ), खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) आदि की विभिन्न रिपोर्टों में देश में भूजल संबंधी मुद्दों एवं चुनौतियों के संबंध में उल्लेख किया गया है और कई उपाय सुझाए गए हैं जैसे शहरी क्षेत्रों में जल शुल्क में वृद्धि ; फसल के लिए जल की आवश्यकता को इष्टतम बनाना ; विशिष्ट क्षेत्रों में सतही एवं भूजल का संयुक्त उपयोग ; भूजल के अतिदोहन के प्रबंधन के लिए भूजल पुनर्भरण आदि, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में भूजल के सतत विकास एवं प्रबंधनों के लिए किए जाने वाले उपाय शामिल हैं।

सरकार ने देश के विभिन्न भागों में भूजल स्तर के प्रबंधन के लिए कई कदम उठाए हैः

i. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) बनाई गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण का समर्थन किया गया है और वर्षा के सीधे प्रयोग से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
ii. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने 12वीं योजना के दौरान भूजल प्रबंधन एवं विनियमन की स्कीम के तहत जलभृत मानचित्रण तथा प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत जलभृत की प्रकृति एवं उनकी विशेषता और मात्रा का पता लगाने और जलभृत/क्षेत्र विशिष्ट भूजल प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लक्ष्य से जल की कमी वाले लगभग 8.89 लाख वर्ग किमी. प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कार्य शुरू किया गया है। जलभृतवार प्रबंधन योजनाएं कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा की जाएगी।
iii. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची-। के अनुसार भूजल के संवर्धन के लिए जल संरक्षण एवं जल संचयन संरचनाएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय

ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यों के तहत एक विशेष रूप से ध्यान दिए जाने वाला क्षेत्र है और इसके तहत लगभग दो तिहाई व्यय सीधे तौर पर जल संचयन संरचनाओं के निर्माण से संबंधित है।

iv. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने भूजल के विनियमन एवं विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त भूजल विधान अधिनियमित करने में सक्षम बनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल विधेयक परिचालित किया है। अब तक 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मॉडल विधेयक के अनुसार भूजल विधान अपनाया है और कार्यान्वित किया है।

v. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने वर्ष 2013 के दौरान भूजल वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को शामिल करते हुए "भारत में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना " शीर्षक से एक संकल्पना दस्तावेज तैयार किया है। इस मास्टर योजना में देश में 85 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) जल का उपयोग करने के लिए 79178 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से 1.11 करोड़ वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। भूजल संसाधन के संवर्धन से पेयजल, घरेलू, औद्योगिक एवं सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की उपलब्धता बढ़ेगी। यह मास्टर योजना कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों को परिचालित कर दी गई है।

vi. केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भूजल को कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन देने/अपनाने हेतु उपाय करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कानून अधिनियमित करके अथवा नियम एवं विनियम बनाकर अथवा भवन उपनियमों में प्रावधान शामिल करके अथवा उचित सरकारी आदेशों के माध्यम से वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया है।

vii. शहरी विकास मंत्रालय ने मॉडल भवन उपनियमों (2015) के मसौदे में वर्षा जल संचयन के प्रावधान संबंधी अध्याय को शामिल किया है।

viii. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को प्रोत्साहन देने के लिए देश में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

अनुलग्नक

"भूजल स्तर" के संबंध में दिनांक 17.12.2015 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *277 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्न क

भारत में ब्लॉक/मंडल/तालुका का श्रेणीकरण

(वर्ष 2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आकलित इकाइयों की कुल संख्या	अतिदोहित	गंभीर	अर्ध गंभीर
			संख्या	संख्या	संख्या
1	आंध्र प्रदेश	662	41	7	42
2	तेलंगाना	448	42	8	55
3	अरुणाचल प्रदेश	11	0	0	0
4	असम	27	0	0	0
5	बिहार	533	0	0	11
6	छत्तीसगढ़	146	1	2	18
7	दिल्ली	27	18	2	5
8	गोवा	20	0	0	0
9	गुजरात	223	24	5	13
10	हरियाणा	116	71	15	7
11	हिमाचल प्रदेश	8	1	2	0
12	जम्मू और कश्मीर	14	0	0	0
13	झारखंड	210	6	0	5
14	कर्नाटक	270	63	21	34
15	केरल	152	1	2	23
16	मध्य प्रदेश	313	24	4	67
17	महाराष्ट्र	353	10	2	16
18	मणिपुर	8	0	0	0
19	मेघालय	7	0	0	0
20	मिजोरम	22	0	0	0
21	नागालैंड	8	0	0	0
22	ओड़िशा	314	0	0	0
23	पंजाब	138	110	4	2
24	राजस्थान	243	172	24	20
25	सिक्किम	4	0	0	0
26	तमिलनाडु	1129	374	48	235
27	त्रिपुरा	39	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	820	111	68	82

29	उत्तराखण्ड	18	0	2	5
30	पश्चिम बंगाल	271	0	1	53
	कुल (राज्य)	6554	1069	217	693
	संघ राज्य क्षेत्र				
1	अंडमान एवं निकोबार	36	0	0	0
2	चंडीगढ़.	1	0	0	0
3	दादरा और नगर हवेली	1	0	0	0
4	दमन और दीव	2	1	0	1
5	लक्षद्वीप	9	0	0	3
6	पुदुच्चेपरी	4	1	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	53	2	0	4
	कुल योग	6607	1071	217	697

श्रेणीकरण के लिए मानदंड

अति दोहित *:* भूजल विकास का स्तर *- >100%,* मानसून पूर्व अथवा मानसून पश्चात की अवधि अथवा दोनों में जल स्तर के दीर्घावधि रूझान में उल्लेखनीय गिरावट

गंभीर *:* भूजल विकास का स्तर *- >90%* और *<=100%,* मानसून पूर्व अथवा मानसून पश्चात की अवधि में जल स्तर के दीर्घावधि रूझान में उल्लेखनीय गिरावट

अर्ध गंभीर *:* भूजल विकास का स्तर *- > 70%* और *<=100%,* मानसून पूर्व अथवा मानसून पश्चात की अवधि में जल स्तर के दीर्घावधि रूझान में उल्लेखनीय गिरावट